

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी- मुकुट सिंह, (आर०ए०एस०)

मुकदमा नम्बर- 21/2022

दायर तारीख:-21.06.2022

1. बीमा देवी पत्नि रामनिवास
2. संगीतादेवी पत्नि अशोक कुमावत
समस्त जाति कुमावत नि० कन्डेरियान की ढाणी तह० जोबनेर जिला जयपुर।

प्रार्थीयागण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये-तहसीलदार तहसील जोबनेर जिला जयपुर।
2. कमला देवी पत्नि नेमीचन्द
3. धर्मेन्द्र कुमार पुत्र नेमीचन्द
4. मूलम पुत्र नेमीचन्द
5. सुरेश कुमार पुत्र नेमीचन्द
6. मनीष पुत्र माता मंजूदेवी संरक्षक सरपस्त माता कमलादेवी
7. रेखा देवी पुत्री माता मंजूदेवी संरक्षक सरपस्त माता कमलादेवी
समस्त जाति कुम्हार (प्रजापति) नि० कन्डेरियान की ढाणी तह० जोबनेर
8. रामपाल पुत्र स्व० नन्दाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) नि० कन्डेरियान की ढाणी
तह० जोबनेर जिला जयपुर।
9. नन्दा पुत्र जोधा-फौत के बजाय
9/1- प्रभाती देवी पत्नि नन्दाराम
9/2- रामनिवास पुत्र नन्दाराम
समस्त जाति कुमावत नि० कन्डेरियान की ढाणी तह० जोबनेर जिला जयपुर।
9/3- अशोक पुत्र नन्दा -फौत जरिये कायम मुकामान:-
9/3/1- संगीता देवी पत्नि स्व०अशोक
9/3/2- प्रियांशु पुत्र स्व०अशोक
9/3/3- बबली देवी पुत्री स्व०अशोक नाबा०जरिये संरक्षक माता संगीतादेवी
पत्नि स्व०अशोक।
9/3/4- हिमांशु पुत्र स्व०अशोक नाबा०जरिये संरक्षक माता संगीतादेवी पत्नि
स्व०अशोक।
समस्त जाति कुमावत नि० कन्डेरियान की ढाणी तह० जोबनेर
जिला जयपुर।
10. मीनादेवी पुत्री स्व० नन्दाराम पत्नि स्व०लालचन्द जाति कुमावत नि० बस स्टैण्ड के
पास, उगरियावास तह० मौजमाबाद जिला जयपुर।
11. राजा देवी पुत्री स्व० नन्दाराम पत्नि द्वारका प्रसाद जाति कुमावत नि० बस स्टैण्ड
के पास, उगरियावास तह० मौजमाबाद जिला जयपुर।
12. बन्टी देवी पुत्री स्व० नन्दाराम पत्नि कल्याणमल जाति कुमावत नि०ईरोलाव तह०
फुलेरा जि० जयपुर।
13. बजरंगलाल पुत्र जोधाराम -फौत जरिये:-
13/1- कमलादेवी पत्नि स्व० बजरंगलाल
13/2- राजेन्द्र कुमार पुत्र स्व० बजरंगलाल
13/3- मुकेश पुत्र स्व० बजरंगलाल



उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर, जयपुर

13/4- जयदेव पुत्र स्व० यजरंगलाल

समस्त जाति कुमावत नि० प्लॉट नं० 651 न्यू लालकोठी योजना झगली वाली फाटक के पास जयपुर जिला जयपुर।

14. रेखादेवी कुमावत पत्नि रमेशचन्द कुमावत जाति कुमावत नि० कन्डेरियान की ढाणी, हाल नि० हाउस नं० 103 बाहुबली कॉलोनी बासंवाडा राजस्थान।

15. रमेशचन्द्र कुमावत पुत्र नन्दाराम- फौत

15/1- रेखादेवी पत्नि रमेश चन्द

15/2- संदीप पुत्र रमेशचन्द

15/3- प्रदीप पुत्र रमेशचन्द

15/4- किरण पुत्री रमेश चन्द

समस्त जाति कुमावत नि० 103 बाहुबली कॉलोनी बासंवाडा राजस्थान।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित- 1. श्री लक्ष्मीनारायण कलवाणियां - अधिवक्ता प्रार्थीया

2. सरकार पैरोकार

निर्णय

दिनांक 15.01.2025

प्रार्थीयागण द्वारा प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि प्रार्थीगण की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी खाता सं० नया 75 पुराना 73 की आराजी खसरा नम्बर 595/317 रकबा 0.4173 है० ख०न० 599/318 रकबा 0.5564 है, किता दो 0.9737 है, वाकै ग्राम कन्डेरियान की ढाणी, पटवार हल्का ढींढा, भू०अभि०नि०क्षेत्र आसलपुर तह० जोबनेर जिला जयपुर में स्थित है। उक्त आराजी प्रार्थीगण की खातेदारी मे अंकित है इस प्रकार उक्त आराजी प्रार्थीगण के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी है। जिस पर काबिज होकर प्रार्थीगण उक्त आराजी का उपयोग व उपभोग करते आ रहे है।

प्रार्थीगण की आराजी के नजदीक खातेदारान अप्रार्थी संख्या 02 लगायत 13 की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 304/1 रकबा 2.5290 है० वाकै ग्राम कन्डेरियान की ढाणी, पटवार हल्का ढींढा, भू०अभि०नि०क्षेत्र आसलपुर तह० जोबनेर जिला जयपुर की आराजी है तथा अप्रार्थीगण सं० 2ल० 13 आयेदिन प्रार्थीगण से सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न कर झगडा फिसांद पर आमादा रहे है तथा आराजी की सीमा संबंधित अनावश्यक विवाद उत्पन्न कर रखा है।

प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी की आराजी आराजी खाता सं० नया 75 पुराना 73 की आराजी खसरा नम्बर 595/317 रकबा 0.4173 है० ख०न० 599/318 रकबा 0.5564 है, किता दो 0.9737 है० वाकै ग्राम कन्डेरियान की ढाणी, पटवार हल्का ढींढा, भू०अभि०नि०क्षेत्र आसलपुर तह० जोबनेर जिला जयपुर की सीमा का ज्ञान करवाने हेतु नियमानुसार अप्रार्थी सं० 01 के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर अप्रार्थी सं० 01 ने

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर, जयपुर

हल्का पटवारी को आदेश क्रमांक भू0अ0/22/3088 दिनांक 25/5/2022 को प्रार्थीगण की आराजी का सीमा ज्ञान करने का आदेश हल्का पटवारी को प्रदान किया जिस पर हल्का पटवारी ने दिनांक 11/6/2022 को मौके पर जाकर प्रार्थीगण की आराजी खाता सं0 नया 75 पुराना 73 की आराजी खसरा नम्बर 595/317 रकबा 0.4173 है0 ख0न0 599/318 रकबा 0.5564 है, किता दो 0.9737 है0 वाकै ग्राम कन्डेरियान की ढाणी, पटवार हल्का ढींढा, भू0अभि0नि0क्षेत्र आसलपुर तह0 जोबनेर जिला जयपुर का सीमाज्ञान कर रिपोर्ट तैयार की गई।

प्रार्थी मुताबिक फर्द रिपोर्ट हल्का पटवारी दिनांक 11/6/2022 के अनुसार प्रार्थी अपनी उक्त आराजी के पत्थरगढी करवाकर उसके आधार पर तारबंदी करवाना चाहता है जिससे प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हो सके और सीमा संबंधित कोई विवाद भविष्य में उत्पन्न नहीं हो। इसलिए अब प्रार्थीगण को अपनी उक्त आराजी की पत्थरगढी करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। अतः प्रार्थीयागण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मुताबिक सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 11.06.2022 के अनुसार पत्थरगढी के आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी जरिए रजि0एडी0 नोटिस की गयी। अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 8, 9/1, 9/2, 9/3/1, 9/3/2, 10 लगा0 14, 15/1 लगा0 15/4 के विरुद्ध बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी संख्या 9/3/3 व 9/3/4 मय अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आए। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 9/3/3 व 9/3/4 द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं कर मुताबिक प्रार्थना पत्र पत्थरगढी करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी।

तहसीलदार जोबनेर द्वारा दिनांक 20.12.2024 को रिपोर्ट इस आशय की पेश की गयी कि ग्राम कन्डेरिया की ढाणी के आराजी ख0नं0 597/317 रकबा 0.4173 है0 ख0नं0 599/318 रकबा 0.5564 है0 कुल किता 02 रकबा 0.9737 है0 बीमा देवी पत्नि रामनिवास, संगीता पत्नि अशोक जाति कुमावत के नाम दर्ज है। प्रार्थीया के पडोसी खसरा नम्बरान 601/315, 304/1, 600/318, 596/317, 594/317 लगवा खसरा है। पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 11.06.2022 को वादग्रस्त आराजी का सीमाज्ञान किया जा चुका है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया तथा मुताबिक प्रार्थना पत्र के पत्थरगढी किये जाने हेतु निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया बहस पर मनन् किया। तहसीलदार, जोबनेर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 11.06.2022 का अवलोकन किया गया। तहसीलदार

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर, जयपुर

जोबनेर द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का अभिलेख में किसी प्रकार हक व अधिकार तय नहीं होते तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

प्रार्थीयागण का प्रार्थना पत्र धारा 128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नं० 595/317 रकबा 0.4173 है० ख०न० 599/318 रकबा 0.5564 है, किता दो रकबा 0.9737 है, वाकै ग्राम कन्डेरियान की ढाणी, पटवार हल्का ढींढा, भू०अभि०नि०क्षेत्र आसलपुर तह० जोबनेर का भूमि सीमा जानकारी के लिये भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा तैयार मोमियाशीट/मदर मैप से पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने के लिये भू०अ०निरीक्षक आसलपुर को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर विपक्षीगण को विधिवत सूचना देकर उन्हे मौके पर उपस्थित रहने हेतु अवगत करावे। नियमानुसार कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की उपस्थिति में ही पत्थरगढी की जावें। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थीगण की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण भूमि का विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। यदि प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में अन्य न्यायालयों में स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नहीं किया जावे।

अतः भू०अ०नि० आसलपुर जो कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की उपस्थिति में पत्थरगढी की जाकर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे। पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार जोबनेर को पालना हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 15.01.2025 को टंकित किया जाकर मजमेआम में सुनाया गया।



5/1/2025
मुकुट सिंह
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर